न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—कानाराम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—43/2024 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व में एयु फाईनेंसर्स इण्डिया लि0 के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय— 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर—302001 राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान इन्टरलॉकिंग जरिये प्रो0 मोईन खान पता—वार्ड नं0 7, पो0 निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

.....(मूलऋणी)

2. रहमती पत्नी मुंशी खान जाति मुसलमान पता— वार्ड नं0 07, पो0 निनाण, चक 6 जेजीडब्ल्यू, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ एवं रहमती पता— पट्टा स0 4744, ग्राम पंचायत निनाण पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ।

.....(सहऋणी, बंधकग्रहिता)

3. मोईन खान पुत्र श्री मुंशी खान जाति मुसलमान पता—पो0 निनाण, चक 6 जेजीडब्ल्यू, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।

.....(सहऋणी)

4. मुंशी खान पुत्र श्री शेर मोहम्मद जाति मुसलमान पता— पो0 निनाण, चक 6 जेजीडब्ल्यू, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।

.....(सहऋणी)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

आदेश

दिनांकः—29.01.25

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.09.2019 को 'लोन एग्रीमेन्ट' सं0 L9001060123269869 के तहत 7,50,000/—रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। ग्राम पंचायत निनाण पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा एक आवासीय पट्टा सं0 4744 पैमाईशी 2790 वर्गफुट अर्थात 310 वर्गगज वीपीओ निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि दिनांक 20.09.2008 को रहमती पत्नी श्री मुंशी खान जाति लुहार मुसलमान निवासी— गांव निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है। उक्त भूखण्ड को उप पंजीयक छानीबड़ी द्वारा रहमती पत्नी श्री मुंशी खान के पक्ष में दिनांक 02.02.2021 को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार रहमती पत्नी श्री मुंशी खान जाति मुसलमान निवासी— गांव निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ उक्त आवासीय भूखण्ड पैमाईशी 2790 वर्गफुट अर्थात 310 वर्गगज की एकल स्वामिनी है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/ आडमान किया।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 08.09.2023 को ऋण के भुगतान में व्यतिकम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 7,15,028/—रूपये (अखरे सात लाख पन्द्रह हजार अठाईस रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियॉ व अन्य खर्चे दिनांक 12.09.2023 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 14.09.2023 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 18.09.2023 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। उक्त सूचनाओं की

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया, ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहनशुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। जो तामील होकर आया। अप्रार्थीगण दिनांक 13.03.2024 को जरिये वकील श्री प्रदीप मोहन भाटी द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण के वकील को कई अवसर दिये गये, परन्तु कोई जवाब पेश नहीं किया और ना ही स्वयं उपस्थित हुये। आवाज लगाई गयी, बावजूद भी स्वयं उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी की अनुपस्थित दर्ज की गयी। अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति ग्राम पंचायत निनाण पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा एक रिहायशी प्रयोजन के लिए भूमि पट्टा विलेख सं0 4744 दिनांक 20.09.2008 पैमाईशी 2790 वर्गफुट अर्थात 310 वर्गगज है, जिसकी एकल स्वामिनी रहमती पत्नी श्री मुंशी खान जाति मुसलमान निवासी– गांव निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner